पंजीकृत

37119-21

संख्या : शिक्षा-शिमला-एच(ई)(ए)(निजी स्कूल/2006
कार्यालय उप निदेशक उच्च शिक्षा जिला शिमला हि० प्र० ।-
दिनांक 3717 शिमला-171002

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
एस.डी. व.मा.पाठशाला शिमला
जिला शिमला हि० प्र० ।

विषय :- निजी स्कूल को चलाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2006-07 का जारी करना ।

प्रधान सचिव शिक्षा हि० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या :ई.डी.एन. एच(ई)(ए)(निजी स्कूल/2006 दिनांक 03.05.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये कक्षा 9वीं एवं दसवीं/दस जमा एक/दस जमा दो ( ) उच्च ( ) स्तर की पाठशाला-1 को चलाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । [illegible] यदि आप द्वारा अधिसूचना में दर्शाई गई शर्तों एवंम नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है ।

उप निदेशक उच्च शिक्षा,
जिला शिमला हि० प्र० ।

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या सम
प्रतिलिपि :-
1. शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा हि० प्र० शिमला-1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3.
4. कार्यालय नस्ति ।

-हस्ता-

उप निदेशक उच्च शिक्षा,
जिला शिमला हि० प्र०

जिला शिमला स्थित निजी पाठशालाओं को चलाने के लिये

नियम एवं शर्तें ।

प्राईवेट संस्था केवल प्रशिक्षित पात्र शिक्षक/कर्मचारी वृंद को उसी प्रकार जैसा कि सरकारी

1. संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार और राष्ट्रीय परिषद

... ... तकनीकी शिक्षा (एन.सी.टी.ई.) तथा राष्ट्रीय परिषद शैक्षणिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा अधिकथित मानकों द्वारा नियुक्तियाँ की जायेंगी ।

निकटवर्ती सरकारी संस्था के परिसर में कोई भी प्राईवेट संस्था कार्य नहीं करेगी ।

2. संस्था के लौकिक स्वरूप को बनाये रखने के लिये संस्था द्वारा कोई विशिष्ट धार्मिक

3. शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

संस्था में प्रवेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जिससे स्कूल सम्बद्ध है द्वारा अधिकथित मानक के सर्वथा

4. अनुसार दिया जायेगा और किसी जाति, रंग, पंथ तथा लिंग के आधार पर किसी प्रकार

का विभेद नहीं किया जायेगा ।

प्राईवेट शैक्षणिक संस्था को चलाने या स्थापना की अनुज्ञा केवल व्यक्तिगत आधार पर

5. स्वीकृत की जायेगी और अनुज्ञा प्राप्त कोई संस्था किसी अन्य स्थान पर इसकी शाखा

खोलने की हकदार नहीं होगी ।

प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग के लिये कम से कम एक कमरा होना अनिवार्य है ।

6. प्रत्येक स्कूल में खेल का मैदान होना अनिवार्य है ।

7. प्रत्येक स्कूल में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार शौचालय होना अनिवार्य है तथा

8. शिक्षकों/कर्मचारियों को अलग से शौचालय को होना अनिवार्य है ।

प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक वर्ग के लिये विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का होना अनिवार्य है ।

9. प्रत्येक स्कूल के लिये अधिसूचना संख्या :शिक्षा-II(ख)II-2/2005-एल दिनांक03.05.06

10. प्रत्येक स्कूल के लिये अधिसूचना संख्या :शिक्षा-II(ख)II-2/2005-एल दिनांक03.05.06

के अनुसार न्यूनतम शिक्षकों (प्रशिक्षित) एवं अन्य कर्मचारियों का होना अनिवार्य है ।

अध्यापक/कर्मचारियों का वेतन छात्रों से प्रभारित फीस, निधियों, दान और संस्था के अन्य

11. आय के स्रोतों के अनुरूप संदत्त किया जायेगा ।

प्राईवेट स्कू के प्रत्येक अध्यापक को ऐसी रीति से कार्यभार दिया जायेगा कि वह सप्ताह में

12 किसी भी दशा में चौबिस घण्टे से अधिक न हो । एक सप्ताह में चौबिस घण्टे ।

प्रत्येक अध्यापक/कर्मचारी के वेतन का भुगतान बैंकर चैक द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

13 इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना में बताये गये नियम एवं सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है

14

उप निदेशक सकेण्डरी शिक्षा,

जिला शिमला हि0 प्र0